

नोट:- निम्न आवेदन फार्म का प्रारूप केवल मात्र आपके द्वारा ऑनलाईन भरी जाने वाली सूचनाओं एवं संलग्न दस्तावेज के बारे में आपको अग्रिम रूप में बताने मात्र के लिए है।
अतः ऑनलाईन आवेदन करते समय प्रारूप को भर के स्कैन/अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है।

Form-14

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

आवंटन पत्र जारी करने हेतु आवेदन-पत्र

उपायुक्त/प्राधिकृत अधिकारी,
जोन-
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

PHOTO OF
APPLICANT

महोदय,

सविनय आवंटन पत्र जारी करने हेतु आवेदन के संबंध में आवेदक की सूचना निम्नानुसार है :-

आवेदक का विवरण :		
आधार नं.		
जनआधार नं.		
आवेदक का नाम	(हिन्दी में)	-----
	(In English)	-----
आवेदक के पिता/पति का नाम	(हिन्दी में)	-----
	(In English)	-----
वर्तमान पता	-----	
मोबाईल नं.		
ईमेल आईडी		
आवंटित भूमि का विवरण :-		
आवंटन पत्र जारी किये जाने का आधार	☐ आरक्षण ☐ लॉटरी ☐ नीलामी ☐ एलपीसी निर्णय के द्वारा ☐ सेक्टर रोड में आवंटन पर ☐ अन्य	
सर्विस नम्बर/प्रोपर्टी आई.डी.		

विकासकर्ता का प्रकार	☐ जयपुर विकास प्राधिकरण ☐ निजी खातेदार
योजना का नाम	
भूखण्ड संख्या	
भूखण्ड का क्षेत्रफल	
भूखण्ड की एवज में जमा कराई गई राशि का विवरण	

आवेदक उक्त भूखण्ड का आरक्षण पत्र धारक/लॉटरी में सफल अभ्यर्थी/सफल नीलामी बोलीकर्ता है, भूखण्ड के आवंटन पत्र में कोई विधिक विवाद/स्थगन/अवरोध नहीं है। सेवा प्राप्ति हेतु उक्तानुसार सूचना का इन्द्राज करते हुए अपेक्षित दस्तावेजात संलग्न/अपलोड किये गये हैं, इनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता/फेरबदल पाये जाने की स्थिति में मेरा आवेदन प्रथमदृष्टया निरस्त किये जाने से सहमत है तथा आवेदक सेवा से संबंधित समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने हेतु प्रतिबद्ध है।

अतः कृपया नियमानुसार भूखण्ड का आवंटन पत्र जारी करवाये जाने का कष्ट करें।

संलग्न –

1. पहचान पत्र (जन-आधार कार्ड/आधार कार्ड/मतदान पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाईसेन्स)
2. आवंटन पत्र जारी किये जाने के आधार हेतु दस्तावेज

☐ यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न/अपलोड की गई है। इनमें किसी भी प्रकार का फेरबदल, भिन्नता या कूटरचना नहीं है। इनकी सत्यता के लिए मैं/हम पूर्ण रूप से जिम्मेदार हूँ।

दिनांक :

प्रार्थी,

स्थान :

आवेदक के हस्ताक्षर.....

आवेदक का नाम.....